

## E- Mail/Speed Post

Office of The Inspector General, Eastern Frontier Headquarter कार्यालय महानिरीक्षक, पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय

Indo-Tibetan Border Police Force MHA/ Govt of India भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल गृह मंत्रालय/ भारत सरकार HALL NO-1,3,4 6<sup>TH</sup> FLOOR, KENDRIYA BHAWAN,

हाल न0-1,3,4 छठवॉ तल केन्द्रीय भवन

SECTOR-H, ALIGANJ, LUCKNOW (UP) 226024

सैक्टर-एच अलीगंज़ लखनऊ (उ०प्र०)-226024

फोन नम्बर-0522-2745884 E. Mail- itcelleftr@itbp.gov.in

Photograph of candidate duly attested by presiding Officer/OOA issuing Officer

NO. 12022/01/Eastern Ftr./ Estt-1/ Rectt(CT/GD)-2022/2023- । 😹 ५-४२ दिनांक-28 / 09 / 2023

विषयःकर्मचारी चयन आयोग/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को भा.ति.सी पुलिस बल में कांस्टेबल (जीडी) भर्ती-2022 के पद पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी कराना।

Sub: Issue of Offer of Appointment for the post of- CONSTABLE (GENERAL DUTY)-2022 to the candidates selected in recruitment conducted by CRPF/SSC.

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में. कांस्टेबल (जी०डी०) के पद पर नियुक्ति हेतु वेतनमान रुपये— 21,700—69,100 (लेवल—3, 7वें वेतन आयोग के अनुसार) में अस्थाई रूप चुना गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल (जीडी) के पद के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव आपके द्वारा स्वीकार किए जाने पर आप दिनांक—26/09/2023 (अप्रा0) तक औपचारिक नियुक्ति हेतु उप महानिरीक्षक, आर0टी०सी० करैरा, भा०ति०सी०पुलिस बल, पोस्ट—करैरा जिला—शिवपुरी (म०प्र०) पिन कोड— 4736601 कंट्रोल रुम नम्बर—07493—252217/ 8109706201 को रिपोर्ट करें।

I am directed to inform that, you have provisionally been selected for appointment as CONSTABLE (GENERAL\_DUTY) in Indo Tibetan Border Police Force in the pay scale of Rs. 21700-69100 (Pay matrix Level-3, as 7<sup>th</sup> CPC). Upon acceptance of this offer by you for appointment as CT/GD in ITBP, you may report to **THE DY.** INSPECTOR GENERAL, RTC Karera, POST- Karera DISTT- Shivpuri (MADHYA PRADESH) – 473660 CONTROL ROOM NO-07493-252217/8109706201 by 26/09/2023 (AN) for formal appointment.

2. नियुक्ति की शर्ते निम्नवत होंगी:-

In terms and conditions for the appointment as under:-

- (क) आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम–1992 एवं नियम– 1994 तथा बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों, अन्य नियमों एवं विनियमों से शासित होंगे। जहां तक पेंशन मामला है, आप केन्द्रीय सिविल सेवा (असधारण पेशन) संशोधन नियमावली– 2003 के अधीन लागू नई अंशदायी पेंशन योजना से शासित होंगे।
- (a) You will be governed by the provisions of ITBP Act 1992 and ITBP Rule 1994 as amended and other Central Government Orders, Rules and Regulations as applicable to other member of the Force. So far as pension is concerned you will be governed by New Contributory Pension Scheme as per the Central Civil Service (extra ordinary pension) amendment Rules- 2003.
- (ख) प्रारम्भ में दो वर्षों की अविध में लिए आप परिवीक्षाधीन रहेगे और परिवीक्षा अविध के दौरानं यदि नियोक्ता प्राधिकारी की राय में आप. कांस्टेबल (जीडी) के तौर पर बल का एक कुशल सदस्य होने की संभावना नहीं रखते है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भा.ति.सी.पुलिस बल के अधिनियम एंव नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिना कोई कारण बताएं किसी भी समय आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
- (b) Initially you will be on probation for a period of two years and during the period of probation, your services may be terminated by the competent authority at any time without assigning any reason, as per the provision of the ITBPF Act and Rules, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Force in your capacity as **Constable** (General Duty)
- (ग) नियमानुसार मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा आप निःशुल्क आवास, निःशुल्क वर्दी एवं समय–समय पर स्वीकृत राशन भत्ते के हकदार होंगे।
- (c) In addition to pay and allowances as admissible under Rules, you shall be entitled for free accommodation, free uniform and ration money allowance etc as admissible from time to time.

- (घ) यह पद अस्थाई है लेकिन परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर स्थायी किए जाने की सम्भावना है। किसी मामले में यदि अस्थाई पद को समाप्त किया जाता है तो बिना किसी कारण बताये आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- (d) The post is temporary but likely to be made permanent on successful completion of probation period, in case, the temporary post is abolished, your services shall be terminated without assigning any reason.
- (ङ) यदि 10 वर्ष की सेवाकाल के दौरान आप कहीं और कोई और नौकरी स्वीकार करने, जिसके लिए कैंडर अनापित्त दी जा चुकी हो, के अलावा अन्य किसी कारण से सेवा से त्यागपत्र देते हैं तो आपका त्यागपत्र इस शर्त पर केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप प्रशिक्षण का खर्च अथवा अपने द्वारा आहरित अंतिम वेतन एवं भत्तों के आधार पर अथवा तीन माह की सेवा पूरी न होने की दशा में जिस माह आप त्यागपत्र देते हैं उस माह का वेतन एवं भत्तों के आधार पर तीन महीने के वेतन एवं भत्ते या प्रशिक्षण के खर्च में से जो भी अधिक हो, को सरकार को लौटा देंगे।
- (e) In case you tender your resignation from service within a period of ten years for reasons other than accepting a job elsewhere, for which cadre clearance has been given, your resignation may be accepted subject to the condition of refund to the Government, the training cost or three month pay and allowances on the basis of pay and allowances last drawn by you or if you have not completed three month service, on the basis of pay and allowances to which you are entitled in the month in which you tender your resignation, whichever is higher.
  - (च) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 10 वर्ष की सेवा करने के लिए बचन पत्र देना होगा।
  - (f) Submitting bond to serve ITBPF for 10 (Ten) years.
  - (छ) नियुक्ति की औपचारिकताऐं पूरी करने के लिये आपको इस संस्थान में रिपोर्ट करने पर निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में एवं प्रत्येक की छायाप्रति जो कि स्वंय सत्यापित की गई हो, प्रस्तुत करनी होगी:--
  - (g) You shall produce the following original documents along with a self-attested photocopy one each reporting at this institute to complete the appointment formalities:
    - i) आपके शैक्षिक और अन्य तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण पत्र।
    - i) Certificate of your educational and other technical qualifications
    - ii) आयु प्रमाण पत्र (मेट्रिकुलेशन य समकक्ष स्कूल छोड्ने का प्रमाण पत्र)
    - ii) Certificate of age proof (Matriculation or equivalent school leaving certificate)
    - iii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि जिलाधीश/जिलाधिकारी/उप मंडल अधिकारी, एस.डी.एम के पद से नीचे का अधिकारी न हो, से संलग्न प्रारूप में गोल मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षरित हो।
    - iii) Certificate of character issued by one Gazetted Officer and countersigned by not less than DM/DC/SDO/SDM containing round stamp as per format enclosed.
    - iv) यदि आपका अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्ध रखने का दावा है, तो उसके समर्थन में जारी जाति प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उप मण्डल अधिकारी, एस.डी.एम के पद से नीचे का अधिकारी न हो, के हस्ताक्षर से विधिवत जारी / प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये।
    - iv) Certificate in the prescribed format in case of your claim belonging to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or OBC, duly issued / countersigned by an officer not below the rank of Tehsildar or SDO/SDM etc.
    - अधिवास प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उप मण्डल अधिकारी / एस.डी.एम के पद से नीचे का अधिकारी न हो, के हस्ताक्षर से जारी / प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये।
    - v) Domicile Certificate issued or countersigned by an officer not below the rank of Tehsildar or SDO/SDM etc.
    - vi) आपके हाल ही के 05 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
    - vi) Five (5) copies of latest passport size photographs.
    - vii) यदि आप वर्तमान में सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में है तो संबंधित विभाग से सेवा मुक्ति/ कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र।
    - vii) Discharge/release certificate from the concerned department if you are presently in any Government /Semi Government service.

- viii) आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने व्यक्तिगत सामान(बेडिंग एवं अपने आवश्यक कपडों) के अतिरिक्त दो महीने के जेब खर्च के लिए रुपये— 20000/—भी अपने साथ लाये।
- viii) In addition to your personal belongings (bedding and requisite clothing) you are required to carry **Rs. 20000/-** towards your pocket expenditure for about two months.
- ix) यदि आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके संदर्भ में न्यायालय से पारित आदेश की छायाप्रति और यदि मुकदमा लम्बित है तो पूर्ण प्रकरण के दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की जानी है।
- ix) If any case is instituted against you in any court of law, copy of the orders in details issued by the court and in case of pendency of litigation against you, a copy of complete case documents are required to be produced.
- x) आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाएं, तथा ए०टी०एम० कार्ड, बैक की पास बुक, मल्टी सीटी चेक बुक, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (स्थाई खाता संख्या) कार्ड एवं आधार कार्ड साथ लाएं।
- x) You are required to Open an account in State Bank of India and also to carry an ATM Card, Bank Passbook, Multi City Cheque Book, PAN (Permanent Account Number) card issued by Income tax Department and Aadhar Card.
- xi) यदि आप ऐसे राज्य / श्रेणी से संबंध रखते है जिसके लिए शारीरिक मापदण्डों में आपको छूट प्रदान की गई है, तो इसके समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- xi) Certificate in Porforma in support of belonging of belonging of categories/states claimed for which relaxation in physical standard is applicable.
- xii) यदि आपने—1984 के दंगा पीडित अथवा 2002 के गुजरात में हुए संप्रदायिक दंगा पीडित या 1980 से 1989 तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थाई निवासी के आधार पर अधिकतम आयू सीमा में छूट का दावा किया है तो इस प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xii) In case of age relaxation on the ground of 1984 riots or Communal riots of 2002 in Gujarat or J&K State domicile certificate(1980-1989).a certificate to this effect issued by the competent authority shall be produced.
- xiii) इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए आप किसी यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे।
- xiii) You will not be entitled for any TA/DA for this appointment.
- 3 यह नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त के पूरा होने के अधीन है कि नियोक्ता अधिकारी द्वारा आपके चरित्र और पूर्ववृत, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यदि का संतोषजनक सत्यापन कर लिया जाए।
- This offer of appointment is subject to the fulfilment of condition that verification of your character and antecedents/educational qualification and caste certificate etc are to be verified to the satisfaction of the appointing authority.
- 4 यह नियुक्ति प्रस्ताव आगे निम्न शर्त के अधीन होगा:-
- 4 This officer of appointment shall be further subject to-
  - 1) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली 1994 के नियम 10 का उपबन्ध जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बल में नियुक्ति अभ्यावेशन/नियोजन का पात्र नहीं होगा जिसको एक से अधिक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह किया है जो कि उस आधार पर निरस्त माना जायेगा कि यह विवाह पहले पति/पत्नी के जीवित रहते हुआ है। निर्धारित फार्म में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ वफादारी की शपथ लेना (अथवा उस संदर्भ में सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान का संकल्प/प्रतिज्ञा निर्धारित फार्म में करना)।
  - 1) Provisions of Rule-10 of ITBPF Rules 1994, which envisage that a person who has more than one wife living or having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the lifetime of such spouse, shall not be eligible for appointment, enrolment in ITBPF. Taking of an oath allegiance/faithfulness to the constitution of India (or making of a solemn or affirmation to that effect in the prescribed form).

- 2) उपरोक्त में से कोई शर्त पूरी न होने की दशा में, यह विभाग, आपको हुए किसी भी नुकसान या हानि के दावा को स्वीकार नहीं करेगा।
- 2) In case of not fulfilling any of the above conditions, this Department shall not entertain any of your claims for loss suffered by you.
- 3) आपके एक निर्धारित अवधि के लिए बेसिक रिकरुट प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बाध्य होंगे।
- 3) You are liable to undergo the Basic Recruit Training for a specified period.
- 4) इस नियुक्ति में आप भारत के किसी भी स्थान या भारत के बाहर अथवा विदेश में सेवा करने के लिए बाध्य होंगे।
- 4) You are liable to serve in any part of India as well as outside India or abroad after this appointment.
- 5) बल में नियुक्ति पर आमद देने के उपरान्त आपको एक बचन पत्र देना होगा कि यदि आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेवा के दौरान कभी भी वर्णान्धता से ग्रसित पाये गये तो बल में प्रचलित "शेप" नीति के अनुसार आपको बोर्ड आउट किया जाएगा।
- 5) An undertaking shall be submitted at the time of joining, that if at any stage while in service if ITBPF, if you are found to be colour blind you are liable to be boarded out as per "SHAPE" policy in vogue.
- 6) भर्ती चिकित्सा बोर्ड का निष्कर्ष / राय फिटनैस की तारीख से सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से एक वर्ष की अविध के लिए वैद्य होगा। यदि आप वैद्य अविध के पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो आपका यूनिट चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी बीमारी / विकृति के लिए चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा जो कि भर्ती चिकित्सा जॉच के बाद हुई हो।
- 6) The findings/opinion of the recruitment medical board is valid for one year from the date of fitness to joining the service. If you join the service after validity period of recruitment medical, you will be examined by Unit medical officer for any disease/deformity that might have arisen after the recruitment medical.
- 7) यह नियुक्ति अस्थायी है तथा ऊपर दी गई शर्तों तथा अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग के प्रमाणपत्रों के उचित माध्यम द्वारा सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि आपका कोई भी दावा / सूचना जाली है तो आपकी सेवायें बिना किसी कारण बताये बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा जाली प्रमाण पत्र / सूचना प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आगे कार्रवाई की जा सकती है।
- This appointment is provisional and subject to the conditions mentioned above and further subject to the verification of the Scheduled caste/tribe/OBC certificate through proper channel. In case the verification reveals that any of your claims/information is false, your services shall be terminated forthwith, without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian penal code for production false certificates/information.
- 8) इस नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तो की स्वीकृति पर आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति की औपचारिकतायें पूरी करने तथा प्रस्तावित पद पर इस बल में नियुक्ति हेतु आप दिनांक—26/09/2023 (अप्रा0) उप महानिरीक्षक, आर0टी0सी0 करैरा, भा0ति0सी0पुलिस बल, पोस्ट—करैरा जिला—शिवपुरी (म0प्र0) पिन कोड—4736601, कंट्रोल रुम नम्बर—07493—252217/ 8109706201 को रिपोर्ट करें। On the acceptance of the terms of this offer of appointment, you are required to
- report to the office of THE DY. INSPECTOR GENERAL, RTC Karera, POST- Karera DISTT- Shivpuri (MADHYA PRADESH) 473660 CONTROL ROOM NO- 07493-252217/8109706201 BY 26/09/2023 (AN) for completion of appointment formalities and in furtherance of acceptance of the offer of appointment.

- 9) यदि आप दिनांक. 26/09/2023 (अप्रा0) तक **उप महानिरीक्षक, आर0टी0सी0 करैरा,** भा0ति0सी0पुलिस बल, पोस्ट—करैरा जिला—शिवपुरी (म0प्र0)4736601 कंट्रोल रुम नम्बर—07493—252217/ 8109706201 को रिपोर्टमें रिपोर्ट नहीं करते है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा।
- 9) In case of failure to join the office of THE DY. INSPECTOR GENERAL, RTC Karera, POST- Karera DISTT- Shivpuri (MADHYA PRADESH) – 473660 CONTROL ROOM NO- 07493-252217/ 8109706201 by 26/09/23 (AN)this offer of appointment will stand cancelled.

10) कार्यभार ग्रहण के सम्बन्ध में कोई दुबिधा होने की स्थिति में निम्नलिखित दूरभाष पर संपर्क करें-

 For any Doubt/query regarding joining, you may contact to following telephone number for clarifications:- 07493-252217/ 8109706201

संलग्न- उपरोक्तानुसार

Encl- A/A

पीठीसीन अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

Signatures of Presiding Officer with seal

TO,

ROLL NO.8007041928	BAIREDLA PUTTUGA VILL,
KEELU JOGA RAO S/O	D GONAPAPUTTUGA POST,
SH. KEELU VENKATA RAO	KAVITI MANDL
	DISTT- SRIKAKULAM
	STATE- ANDHRA PRADESH
	PIN- 532312
	MOB- 7680050635
	E-MAIL ID-keelujogarao1999@gmail.com

## मूल प्रति पर नही— प्रतिलिपिः—

- 1. उप महानिरीक्षक, आर0टी0सी0 करैरा, भा0ति0सी0पुलिस बल, पोस्ट-करैरा, जिला-शिवपुरी ( मध्य प्रदेश)को सूचनार्थ।
- 2. उप महानिरीक्षक(भर्ती) महानिदेशालय भा०ति०सी०पु० बल को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित Signatures of Presiding Officer with seal